सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्याः— 134 / प्रा0पत्र / 2023 दायरा दिनांक :—18.07.2023

GCMS ID—2023 / 148

1.दुर्गाशंकर आ0 कन्हैयालाल जाति तेली निवासी अलोद तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रार्थी

बनाम

1. राज0 राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला—बून्दी।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :— राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत वास्ते इंद्राज दुरस्ती।

वकील प्रार्थीगण :— श्री जगदीश प्रसाद गुर्जर
वकील अप्रार्थी :— परोकार सरकार।

दिनांक :— 28 / 02 / 2025

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कृषि भूमि खाता संख्या 80 खसरा संख्या 1439 रकबा 0.2185 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1440 रकबा 0.4613 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1441 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1442 रकबा 0.0728, खसरा संख्या 1449 रकबा 0.4047 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2000 रकबा 0.1376 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2003 रकबा 0.0081 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2004 रकबा 0.5342, संख्या संख्या 2005 रकबा 0. 2914 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2007 रकबा 0.1457 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2008 रकबा 0. 0081 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2033 रकबा 0.4290 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2035 रकबा 1. 0684 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2036 रकबा 0.1214 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2037 रकबा 0. 8094 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2038 रकबा 1.1250 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2053 रकबा 0. 0324 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2056 रकबा 0.0647 हैक्टेयर कुल किता 18 कुल रकबा 6. 0136 हैक्टेयर वाके ग्राम कालाभाटा पटवार मण्डल अलोद तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0 में स्थित है, जिसमें प्रार्थी का 1/8 हिस्सा निहित है। प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि पर निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी के पिता खाना जी के दुर्गालाल नाम का काई पुत्री नही था, प्रार्थी का नाम दुर्गाशंकर है, लेकिन घर में प्रार्थी को छोटी अवस्था में दुर्गालाल के नाम से भी जानते थे इसी कारणवश पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थी के पिताजी के मृत्यु के बाद राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तकरण खोलते समय प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि में प्रार्थी दुर्गाशंकर के स्थान पर दुर्गालाल का इन्द्राज कर दिया उक्त इन्द्राज अवैध एवं निरस्तनीय है। प्रार्थी के सभी सरकारी दस्तावेज राशन कार्ड, बैंक

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

डायरी, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड आदि में प्रार्थी का नाम दुर्गाशंकर दर्ज है लेकिन प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि में प्रार्थी का नाम दुर्गालाल गलत दर्ज कर दिये जाने से प्रार्थी उक्त भूमि पर सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहा है, जिससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति हो रही है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित जमावंदी में प्रार्थी का नाम दुर्गालाल गलत दर्ज किया हुआ है, उक्त इन्द्राज अशुद्ध है, जिसके इन्द्राज को दुरूस्त कर दुर्गाशंकर दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उक्त नाम के इन्द्राज को दुरूस्त करवाने हेतु प्रार्थी ने ग्राम पंचायत के पटवारी के समक्ष व तहसीलदार साहब के यहा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन तहसीलदार साहब ने न्यायालय से आदेश लाये बिना नाम के इन्द्राज को दुरूस्त करने से दिनांक 02.07.2023 को इन्कार कर दिया यही प्रार्थना पत्र का कारण है। प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों में दुर्गालाल के इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर उक्त स्थान पर दुर्गाशंकर दर्ज करवावे एवं उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर सही नाम दुर्गाशंकर दर्ज करवावे। भूमि ग्राम कालाभाटा पटवार मण्डल अलोद तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विस्थित होने से श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क एवं तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी को प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि खाता संख्या 80 खसरा संख्या 1439 रकबा 0.2185 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1440 रकबा 0.4613 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1441 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1442 रकबा 0.0728, खसरा संख्या 1449 रकबा 0.4047 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2000 रकबा 0.1376 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2003 रकबा 0.0081 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2004 रकबा 0.5342, संख्या संख्या 2005 रकबा 0.2914 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2007 रकबा 0.1457 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2008 रकबा 0.0081 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2033 रकबा 0.4290 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2035 रकबा 1.0684 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2036 रकबा 0.1214 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2037 रकबा 0.8094 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2038 रकबा 1.1250 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2053 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2056 रकबा 0.0647 हैक्टेयर कुल किता 18 कुल रकबा 6.0136 हैक्टेयर वाके ग्राम कालाभाटा पटवार मण्डल अलोद तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0 की जमाबंदी मे दर्ज प्रार्थी का नाम दुर्गालाल के इन्द्राज को दुरूस्त कर उक्त स्थान पर दुर्गाशंकर दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा नायब तहसीलदार दबलाना से प्राप्त जॉच रिपोर्ट अनुसार दुर्गालाल पुत्र खाना व दुर्गाशंकर पुत्र कन्हैयालाल एक ही व्यक्ति का नाम होने से प्रार्थी का सही नाम दुर्गाशंकर पुत्र कन्हैयालाल शुद्ध किया जाना उचित अंकित किया है। प्रकरण में नायब तहसीलदार दबलाना के पत्रांक :— राजस्व/24/994 दिनांक :—31.12.2024 द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम कालाभाटा के खाता संख्या 80 में दर्ज दुर्गालाल पुत्र खाना व दुर्गाशंकर पुत्र कन्हैयालाल एक ही व्यक्ति का नाम है। जिसे प्रार्थी शुद्ध दर्ज करवाना चाहता है। मौके पर उपस्थित मौतबिरानों में जानकारी करने पर बताया गया कि दुर्गालाल पुत्र खाना

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

व दुर्गाशंकर पुत्र कन्हैयालाल एक ही व्यक्ति का नाम होने से दुर्गालाल पुत्र खाना के स्थान पर दुर्गाशंकर पुत्र कन्हैयालाल उक्त शुद्धि किया जाना उचित बताया है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का सही नाम दुर्गाशंकर पुत्र कन्हैयालाल है। वर्तमान जमाबंदी में दर्ज दुर्गालाल पुत्र खाना के स्थान पर प्रार्थी का सही नाम दुर्गाशंकर पुत्र कन्हैयालाल मुताबिक प्रार्थना के दुरूस्त किए जाने का कथन किया गया।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि "भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।"

वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं जबाव अप्रार्थी पेरोकार सरकार एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, पहचान–पत्र, परिवार राशन कार्ड, बैंक खाता डायरी, जन–आधार कार्ड पत्र पेश किए है जिनमें प्रार्थी का नाम दुर्गाशंकर पुत्र कन्हैयालाल दर्ज है, जो कि वर्तमान जमाबंदी में दुर्गालाल पुत्र खाना अंकित हो रहा है। प्रकरण में जबाव अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा भी प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित बताया है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

—: क्रियात्मक आदेश :—

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर भूमि वाके ग्राम कालाभाटा पटवार मण्डल अलोद के खाता संख्या 80 में दर्ज दुर्गालाल पुत्र खाना के स्थान पर दुर्गाशंकर पुत्र कन्हैयालाल शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु नायब तहसीलदार दबलाना को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :— 28.02.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446